कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द, (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, E-mail:-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / 987 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 17 / 11 / 2020

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 404/ स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर दिनांक 13.10.2020 के द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 20.11.2020 को छठ पूजा हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

01. छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति की शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी।
02. छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय–समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
03. छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेंगे।
04. छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
05. छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक 625/सीएस/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.11.2020 में दिये गये निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी।
06. छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी।
07. छठ पूजा स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
08. छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग/वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी।
09. नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी।
10. आयोजक/आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
11. उपरांकित सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून, 2020 के अंतर्गत जारी एस.ओ.पी. का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकुल कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
महासमुन्द

पृ.क्रमांक / 987 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 17 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ।
02. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर को सूचनार्थ।
03. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ।
05. सर्व अनुविभागीय दण्डा. एवं इन्सीडेंट कमांडर, जिला महासमुन्द, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला महासमुन्द, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. सर्व मु.न.पा.अ., नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला महासमुन्द को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
महासमुन्द